न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी -- श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 21/2021

दायर दिनांक – 22.04.2021

निर्णय दिनांक – 22.11.2021

जीसीएमएस नं0 – 2021/39

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. नर्बदा देवी पत्नी मंगलचन्द जाति बलाई निवासी चमड़ा घर, मदनगंज किशनगढ तहसील–किशनगढ़ जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर। 2. आशा पत्नी गोपाल 3. भोलाराम पुत्र घीसूलाल जाति मेघवाल निवासी गनाहेड़ा तहसील पुष्कर 4. आनंदसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीह तहसील डेगाना जिला नागौर। 5. सुरेंद्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी खातीपुरा जिला जयपुर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, अधि0, प्रार्थी

2. [illegible] सरकार तहसीलदार पुष्कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:44 IST
Reason: SelfAttested

22.11.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

–: निर्णय :–

प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थीगण हाजिर। अप्रार्थीगण (1. तहसीलदार पुष्कर) हाजिर। दिनांक 22.11.2021 को अप्रार्थीगण सं0 2 लगायत 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र में हाल खसरा नंबर 3186/2080 रकबा 0.81 है0 राजस्व नक्शा ट्रेस से सीमाज्ञान कर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 1 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र क्रमांक/तह.पु/कोर्ट/2021/1977 दिनांक 30.09.2021 के अनुसार **"राजस्व रिकॉर्ड अनुसार खसरा नंबर 3186/2080 रकबा 0.81 है0 प्रार्थी खातेदार नर्बदा पत्नी मंगलचंद जाति बलाई सा. किशनगढ़ के नाम दर्ज है। उपरोक्त खसरा नंबर पर आशा पत्नी गोपाल, भोलाराम पुत्र घीसूलाल जाति मेघवाल, आनंद सिंह पुत्र मोहनसिंह, सुरेंद्र सिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत का अतिक्रमण है। अतः इन पक्षकारों को सूचित करते हुए पत्थरगढ़ी करवाया जाना उचित है।"**

वकील प्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार पुष्कर की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार पुष्कर को 500/– रूपये पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा गनाहेड़ा पटवार हल्का गनाहेड़ा की आराजी संख्या 3186/2080 रकबा 0.81 है0 भूमि में पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करें। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढ़ी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इस आशय बाबत् तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को न्यायालय में सुनवाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:44 IST
Reason: SelfAttested

22.11.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर
(आर0ए0एस)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर0ए0एस)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या –21/2021

दायर दिनांक –22.04.2021

निर्णय दिनांक – 22.11.2021

जीसीएमएस नं0 –2021/39

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. नर्बदा देवी पत्नी मंगलचन्द जाति बलाई निवासी चमड़ा घर, मदनगंज–किशनगढ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर। 2. आशा पत्नी गोपाल 3. भोलाराम पुत्र घीसूलाल जाति मेघवाल निवासी गनाहेड़ा तहसील पुष्कर 4. आनंदसिंह पुत्र मोहनसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीह तहसील डेगाना जिला नागौर। 5. सुरेंद्रसिंह पुत्र रामसिंह जाति राजपूत निवासी खातीपुरा जिला जयपुर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति–1. श्री मदनपुरी गोस्वामी, अधि0, प्रार्थी

2. परोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:44 IST
Reason: SelfAttested

22.11.21

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

—: डिक्री :—

उपरोक्त उनवान से संबंधित प्रकरण में आपको 500/— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा गनाहेड़ा पटवार हल्का गनाहेड़ा की आराजी संख्या 3186/2080 रकबा 081 है0 भूमि में पक्षकारान को जरिये समन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थरगढी की कार्यवाही करें। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल खड़ी न हो तो ही पत्थरगढ़ी की जावे एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकॉर्ड विधिवत् संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट पेश करे। कमिश्नर फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन नहीं है। इस आशय बाबत् तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

22.11.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर0ए0एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.12.02 10:46:44 IST
Reason: SelfAttested